The text is centered and surrounded by six light purple circles. Three circles are arranged in a horizontal row above the text, and three are arranged in a horizontal row below it. The circles are of varying shades of light purple, with some being solid and others being hollow outlines.






समाजिक सुरक्षा योजनायें

# प्रमुख योजनाये

- गौरा देवी कन्याधन योजना (अनुसूचित जाति / सामान्य)
- वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन योजना
- अटल आवास योजना (अनुसूचित जाति)
- अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी एवं उनके परिजनों की बीमारी के ईलाज हेतु अनुदान ।
- निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान
- अर्न्तजातीय एवं अर्न्तधार्मिक विवाह योजना ।
- दक्ष विकलांग कर्मचारियों को राज्यस्तरीय पुरस्कार ।
- विकलांग युवक / युवती विवाह प्रोत्साहन अनुदान:
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

# विभाग द्वारा संचालित संस्थाये

- अनुसूचित जाति के बालको हेतु छात्रावास



# गौरा देवी कन्याधन योजना (अनुसूचित जाति / सामान्य )

## पात्रता

- केन्द्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड के अधीन किसी विद्यालय से इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
- व्यक्तिगत छात्रा के मामले में छात्रा अविवाहित होनी चाहिए
- आयु अनुदान स्वीकृत होने के वर्ष की 01 जुलाई को 25 वर्ष
- एक ही माता पिता की अधिकतम दो पुत्रिया।
- माता – पिता / अभिभावक की बी०पी०एल० / आय सीमा  
ग्रामीण क्षेत्रों में रु. 15976 वार्षिक  
शहरी क्षेत्र में रु. 21206 वार्षिक

# गौरा देवी कन्याधन योजना (अनुसूचित जाति / सामान्य )

## धनराशि

- इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त रू. 25000 एन0एस0सी0 / एफ0डी0

## वितरण की प्रक्रिया

- छात्रा द्वारा सम्बन्धित विद्यालय में आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी
- विद्यालय द्वारा अपनी संस्तुति सहित सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को 31 जनवरी
- खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने विकास खण्ड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराने की तिथि 15 फरवरी तक
- सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों का परीक्षण कर जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराने की तिथि 15 मार्च तक
- जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति 15 अगस्त तक
- एन0एस0सी0 / एफ0डी0आर0 वितरण 15 सितम्बर तक
- भुगतान राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0) / एफ0डी0 के माध्यम से

# वृद्धावस्था पेंशन योजना

## पात्रता

- आयु 60 वर्ष से ऊपर।
- बी०पी०एल० अथवा मासिक आय 1000/- प्रतिमाह।
- पुत्र / पौत्र भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो।

## धनराशि

- पूर्व में 60 वर्ष से 79 वर्ष तक आयु तक के वृद्धों को 400/ प्रतिमाह
- एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के तक के वृद्धों को 700/ प्रतिमाह
- वर्तमान में समस्त वृद्धो को रु. 800 प्रति माह 01 जनवरी 2014 से

वर्ष **2013-14** में लाभार्थी

कुल पेंशनर 33738

# विधवा पेंशन योजना

## पात्रता

- आयु 18 वर्ष से ऊपर।
- बी०पी०एल० अथवा मासिक आय 1000/- प्रतिमाह ।
- पुत्र / पौत्र भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो ।

## धनराशि

- पूर्व में 18 वर्ष से 39 वर्ष तक आयु तक के विधवाओं को 400/ प्रतिमाह ।
- एवं 40 वर्ष से अधिक आयु के विधवाओं 500/ प्रतिमाह ।
- वर्तमान में समस्त विधवाओं को रु. 800 प्रति माह 01 जनवरी 2014 से

वर्ष **2013-14** में लाभार्थी  
कुल पेंशनर 11388

# विकलांग पेंशन योजना

## पात्रता

- आयु 18 वर्ष से ऊपर
- बी०पी०एल० अथवा मासिक आय 1000 /- प्रतिमाह
- पुत्र /पौत्र भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो
- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त 40 प्रतिशत या अधिक विकलांगता ग्रस्त होने का प्रमाण पत्र

## धनराशि

- पूर्व में समस्त विकलांगो को रू० 600 / प्रतिमाह एवं कुष्ठ रोग मुक्त विकलांग व्यक्तियों को रू० 1000 /- प्रतिमाह
- वर्तमान में समस्त विकलांगो को रु. 800 प्रति माह 01 जनवरी 2014 से
- कुष्ठ रोग मुक्त विकलांग व्यक्तियों को रू० 1000 /- प्रतिमाह

वर्ष **2013-14** में लाभार्थी  
कुल पेंशनर 4795



# अटल आवास योजना (अनुसूचित जाति )

## पात्रता

- अनुसूचित जाति के परिवार जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू. 32000 /— अथवा इससे कम हो (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र ही मान्य)
- अनुसूचित जाति के बी०पी०एल० परिवार (पृथक से आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं )
- आवास निर्माण हेतु लाभार्थि के पास स्वयं की भूमि उपलब्ध होनी चाहिए भूमि क्रय हेतु कोई धनराशि अनुमन्य नहीं होगी
- इन्दिरा आवास योजना अथवा दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त लाभार्थियों को यह सुविधा अनुमन्य नहीं

## धनराशि

- पर्वतीय क्षेत्र में रू. 38,500 दो किस्तों में
- शहरी क्षेत्र में रू. 35,000 की धनराशि दो किस्तों में

## अटल आवास योजना (अनुसूचित जाति )

### वितरण की प्रक्रिया

- समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद को वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का आवंटन
- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में निवासरत अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण
- आवेदन पत्रों का परीक्षण विकास खण्ड स्तर पर
- जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा आवेदन पत्रों की पात्रता जाँच
- प्रथम आवत प्रथम पावत के सिद्धान्त से चयन
- चयनित सूची को गठित समिति अनुमोदन प्राप्त कर चयनित लाभार्थी को प्रथम किश्त के रूप में रू. 23000 / – का भुगतान
- द्वितीय किश्त की धनराशि निर्माण कार्य पूर्ण होने की पुष्टि के उपरान्त

# अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी एवं उनके परिजनों की बीमारी के ईलाज हेतु

## अनुदान

### पात्रता

- अनुसूचित जाति के बी०पी०एल० परिवार अथवा वार्षिक आय रू.15000 से कम

### धनराशि

- अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु रू. 50000 तथा परिजनों के ईलाज हेतु रू 10000 की धनराशि

### वितरण की प्रक्रिया

- लाभार्थी के पक्ष में निर्गत कास चैक / बैंकड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान

### चयन हेतु प्राथमिकता

- अन्त्योदय परिवार
- बी०पी०एल०विधवा महिला
- केवल बी०पी०एल०
- अन्य

# निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान

## पात्रता

- निराश्रित विधवायें जो पेंशन पा रही हैं अथवा विधवा पेंशन पाने की पात्र

## धनराशि

- निराश्रित विधवाओं को उनकी पुत्रियों के विवाह हेतु रु. 50000 / – अनुदान

## वितरण की प्रक्रिया

- पात्र विधवाओ को स्वीकृत कमेटी से स्वीकृत करने के उपरान्त कास चैक / बैंक डाफ्ट के माध्यम से

# अन्तर्जातीय एवं अन्तर्धार्मिक विवाह योजना

## पात्रता

- अन्तर्जातीय एवं अन्तर्धार्मिक विवाह करने वाले युवक

## धनराशि

- पुरस्कार स्वरूप रू. 10000 /— की धनराशि

## वितरण की प्रक्रिया

- आवेदन पत्र प्राप्त कर शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित
- स्वीकृत आवेदको को धनराशि का भुगतान करने हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा समारोह आयोजित कर युगल को पुरस्कार स्वरूप रू. 10000 /— की धनराशि

# दक्ष विकलांग कर्मचारियों को राज्यस्तरीय पुरस्कार ।

## पात्रता

- प्रदेश के उत्कृष्ट विकलांग कर्मचारी, स्वतः रोजगार में रत विकलांग व्यक्ति , विकलांग सेवायोजक तथा प्लेसमेन्ट अधिकारी

## धनराशि

- पुरस्कार स्वरूप रू. 5000 /— नकद

## वितरण की प्रक्रिया

- चयनित दक्ष कर्मचारियों एवं सेवायोजकों को विकलांग दिवस के अवसर पर समारोह आयोजित कर नकद धनराशि एवं प्रशस्ति पत्र, मेडल प्रदान किया जाता है

# विकलांग युवक / युवती विवाह प्रोत्साहन अनुदान

## पात्रता

- सामान्य युवक, युवतियों द्वारा निःशक्त युवक / युवती से विवाह करने पर

## धनराशि

- युवक द्वारा विकलांग युवती से विवाह करने पर रुपये 14000 /
- सामान्य युवती द्वारा विकलांग युवक से विवाह करने पर रुपये 11000 /
- दोनो विकलांग युवक व युवती द्वारा विवाह करने पर रुपये 14000 /

# विकलांग युवक / युवती विवाह प्रोत्साहन अनुदान

## योजना के मानक

- दम्पति भारत का नागरिक हो ।
- दम्पति उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी हो या कम से कम पाँच वर्ष से उसका अधिवासी हो ।
- दम्पति में से कोई सदस्य किसी आपराधिक मामले में दंडित न किया गया हो ।
- शादी के समय युवक कम से कम 21 वर्ष तथा 45 से अधिक न हो तथा युवती कम से कम 18 वर्ष तथा 45 वर्ष से अधिक न हो ।
- दम्पति का विवाह प्रचलित सामाजिक रीति-रिवाज से हुआ हो अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी विवाह किया गया हो ।
- दम्पति में से कोई सदस्य आयकरदाता की श्रेणी में न हो ।
- जिसके पास पूर्व से कोई जीवित पत्नी न हो और उनके ऊपर महिला उत्पीड़न या अन्य आपराधिक न चल रहा हो ।



# राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

## पात्रता

- रूपये 1000 / – मासिक आमदनी वाले परिवार के मुख्य कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु होने पर
- आयु सीमा 18 से 59 वर्ष
- पुत्र नाबालिक हो

## धनराशि

- रूपये 20,000

## अनुसूचित जाति के बालक एवं बालिकाओ हेतु छात्रावास उददेश्य

अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों के बालकों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु

### संचालित छात्रावास

#### ● जनपद अल्मोडा

- राजकीय सम्प्रेक्षण गृह
- राजकीय बालिका निकेतन
- राजकीय शिशु सदन
- राजकीय संरक्षण गृह
- राजकीय बालवाडी

## समाज कल्याण विभाग का प्रगति विवरण वर्ष 2013-14 पेंशन योजनाएं

क्र० स०	योजना का नाम	वर्ष 13-14 में प्राप्त आंबटन	व्यय धनराशि	लाभान्वित लाभार्थी संख्या	भुगतानित माह	नवीन स्वीकृति जनवरी 2014से
1	वृद्धावस्था पेंशन	1680.99	1319.87	33738	दिसम्बर 2013 तक	1193
2	विधवा भरण पोषण अनुदान	551.75	406.68	11388	दिसम्बर 2013 तक	421
3	विकलांग भरण पोषण अनुदान	335.50	270.25	4795	दिसम्बर 2013 तक	70

**समाज कल्याण विभाग का प्रगति विवरण वर्ष 2013-14**  
छात्रवृत्ति योजनाएं

क्र० स०	योजना का नाम	वर्ष 13-14 में प्राप्त आंबटन	व्यय धनराशि	लाभान्वित लाभार्थी संख्या
1	अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति	791.48	661.44	36697
2	पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति	68.47	64.71	3003
3	अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति	10.14	10.14	68
4	विकलांग छात्रवृत्ति	1.30	1.30	138

समाज कल्याण विभाग का प्रगति विवरण वर्ष 2013-14  
अन्य योजनाएँ

क्र० स०	योजना का नाम	वर्ष 13-14 में प्राप्त आंबटन	व्यय धनराशि	लाभान्वित लाभार्थी संख्या
1	शादी बिमारी अनुदान	108.50	108.50	221
2	अटल आवास योजना	39.65	27.05	73
3	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ	39.80	39.80	225

# समाज कल्याण विभाग का प्रगति विवरण वर्ष 2013-14

उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम

क्र० स०	योजना का नाम	लक्ष्य	विभागीय	अन्य विभाग	योग	श्रेणी
1	स्वतः रोजगार योजना (अनुसूचित जाति)	785	352	276	628	A
2	स्वतः रोजगार योजना (अनुसूचित जनजाति)	04	03	01	04	A

# समाज कल्याण विभाग का प्रगति विवरण वर्ष 2013-14

उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम  
के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र० स०	योजना का नाम	प्रशिक्षण ट्रेड का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	जीविका अवसर प्रोत्साहन	फल प्रसस्करण	20
2	जीविका अवसर प्रोत्साहन	कृत्रिम डायमंड कटिंग	20
3	अल्पसंख्यक रहबर योजना	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	20
4	अल्पसंख्यक रहबर योजना	टैली प्रशिक्षण	20
5	अल्पसंख्यक रहबर योजना	सिलाई कढ़ाई	20

गौरा देवी कन्या धन योजना के तहत एक बार शिथलीकरण करते हुए जनपद में निम्नानुसार लम्बित आवेदन पत्रों को निस्तारण करने का विवरण

क्र० स०	योजना का नाम	वर्ष	लाभार्थी संख्या	व्यय धनराशि
1	गौरा देवी कन्या धन	2007	05	01.25
2		2008	385	96.25
3		2009	148	37.00
4		2010	112	28.00
5		2011	692	173.00
कुल			1342	335.75



गौरा देवी कन्या धन योजना के तहत वर्ष 2012-13 एवं 13-14 में स्वीकृत आवेदन पत्रों का विवरण

क्र० स०	योजना का नाम	वर्ष	लाभार्थी संख्या	व्यय धनराशि
1	गौरा देवी कन्या धन सामान्य जाति	2012	1923	480.75
2	गौरा देवी कन्या धन अनुसूचित जाति	2012	524	131.00
	कुल		2447	611.75
1	गौरा देवी कन्या धन सामान्य जाति	2013	1704	426.17
2	गौरा देवी कन्या धन अनुसूचित जाति	2013	365	91.25
	कुल		2069	517.42

